Setting up of a Finance Corporation for Disabled persons

1212. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether a Finance Corporation for Disabled has been set up with a total fund of Rs. 100 crores;

(b) if so, what are the main features of the corporation;

(c) whether this Corporation would provide loans at nominal interests to various organisations connected with the welfare of disabled persons;

(d) if so, what are the main organisations that will be provided assistance; and

(e) to what extent the formation of such a corporation would help disabled people?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No, Sir. However a proposal for the setting up of National Handicapped Finance & Development Corporation is under examination and the details are being worked out.

(b) to (e) Do not arise.

देश भर में मीणा जाति के लिये आरक्षण

1213. **श्री शिव चरण सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीणा जनजाति के लोग देश के कई भागों में रहते हैं किन्तु उन्हें आरक्षण की सुविधा केवल राजस्थान में ही दी गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार अनुसूचित जनजातियों तथा राजस्थान में मीणा जनजाति को प्राप्त आरक्षण के अनुरूप अन्य राज्यों में रहने वाले मीणा जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी; यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केंद्रीय सेवाओं में राजस्थान की मीणा जनजाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण रखा गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता रामकेसरी) : (क) और (ख) उन क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों को, जहां वे विहित मानदंड को पूरा करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। तदनुसार केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करने वाले "मीणा" को ही आरक्षण के लाभ के पात्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग) भारत के संविधान में जनजाति-वार आरक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की प्रतिशतता, 7.5% निर्धारित की गई है। इसमें राजस्थान के "मीणा" भी शामिल है।

Welfare Schemes for SCs/STs in Gujarat

1214. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what financial allocations had been provided under SCs/STs Welfare schemes in Gujarat during 1992-93 and proposed during 1993-94;

(b) whether the prescribed targets have been fully achieved;

(c) if so, the details, thereof;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the steps taken/proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) A Statement-I and II are laid on the Table of the House, (See below).

(b) to (e) Targets have been prescribed in respect of the Family Economic Assisted Programme—Item 11 of 20-Joint